

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2007/2011/श्रीगंगानगर
मैसर्स देशराज सुरेन्द्र कुमार
श्रीगंगानगर

अपीलीथी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-बी, श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.11.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 54/आरवैट/श्रीगंगानगर/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 24(4), 19, 55, 58 व 64 सपठित नियम 18 के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.09.2009 पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 31.03.2006 को घोषित स्टॉक पर चाही गयी आई टी सी रू. 1,54,962/-अस्वीकार की है तथा उक्त राशि को अदत्त मानते हुए उस पर ब्याज रू. 47,184/- आरोपित किया है। उक्त प्रकार से अस्वीकार की गई आई टी सी एवं उसको अदत्त मानते हुए उस आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधी आदेश दिनांक 27.04.2011 पारित किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया गया है कि व्यवसायी ने रूई, नरमा देशी, रूई कपास के प्रारम्भिक स्टॉक पर आई टी सी क्लेम किया गया है तथा उसकी सूचना दिनांक 31.05.2006 को कार्यालय में पेश की गयी है व रिवाईज दिनांक 31.12.2006 कार्यालय में पेश की है। रूई नरमा व रूई कपास Finished goods हैं जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार Finished goods पर आई टी सी स्वीकार/देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने Finished goods पर आई टी सी देय नहीं मानते हुए उसके क्लेम को अस्वीकार किया है तथा अस्वीकार की गई आई टी सी को अदत्त मानते हुए उस पर ब्याज आरोपित किया है, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत



करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी रूई निर्माता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने कच्ची रूई को जिन्ड करके फिनिस्ड कॉटन तैयार की है, जिस पर आई टी सी देय है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने स्थानीय बाजार से कपास व नरमा कर चुकाकर खरीद करके स्वयं की प्रोसेसिंग से रूई प्राप्त की है। उनका कथन है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 25.04.1986 के द्वारा जिन्ड व अनजिन्ड कॉटन को एक ही वस्तु माना गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इन्हें अलग-अलग वस्तु माना है, जो अविधिक है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार के द्वारा नरमा, कपास व इससे तैयार की गयी रूई या कॉटन को एक ही वस्तु माना है तथा करदत्त नरमा खरीद की गयी रूई को भी राज्य में कर संदत्त माना है। इसी तरह डीजल एवं मोबिल ऑयल राज्य के पंजीकृत व्यवसायों से खरीद किया है, जिसका माल के प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, जिस पर आई.टी.सी. देय है। लेकिन सक्षम अधिकारी ने इस पर भी आई.टी.सी. को अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कॉटन एक विनिर्मित वस्तु नहीं है और जिन्ड कॉटन और अनजिन्ड कॉटन एक ही वस्तु है। उन्होंने अपीलीय स्तर पर उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अविधिक बताया। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा-58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है, अतः आरोपित शास्ति अविधिक है, जिसे अपास्त किया जाये। उक्त सभी तथ्यों एवं आधारों पर अपीलार्थी के अभिभाषक प्रतिनिधि ने अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने के साथ ही साथ बहस के दौरान प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रूई का क्रय किया गया है, जिसकी खरीद पर व्यवहारी द्वारा कोई कर नहीं चुकाया गया है। रूई जिनिंग करने के बाद प्राप्त होती है और जिनिंग एक निर्माण प्रक्रिया है, जिसके बाद उक्त नरमा व कपास में से दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, एक बिनौला दूसरी रूई। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह रूई खरीदी गयी वस्तु से भिन्न वस्तु है, इसलिए उस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई टी सी नहीं दी गई




है। हस्तगत प्रकरण के प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन के पश्चात निष्कर्ष दिया है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

“अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित माननीय पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय मैसर्स रणवीर चन्द सोमचन्द बनाम ई. एण्ड टी. आफीसर 1960-11/एसटीसी/149 यहां लागू नहीं होता है। सक्षम अधिकारी ने जिन्ड एवं अनिजिन्ड को दो भिन्न वस्तु मानकर वैट एक्ट, 2003 की धारा 19 सपठित नियम 18 के अन्तर्गत स्टॉक यपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (1970) 25 एस टी सी 52 स्टेट आफ पंजाब बनाम चन्दूलाल किशोरी लाल के प्रकरण में जिन्ड कॉटन एण्ड अनजिन्ड कॉटन को निर्माण प्रक्रिया माना है। जिन्ड कॉटन एवं कॉटन सीड्स दो भिन्न व्यापारिक वस्तुएं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्बन्धित निर्णय प्रकार है:-

" On behalf of the applicants the argument was stressed that ginning process was a manufacturing process and ginned cotton and cotton seeds were different commercial commodities and their respondent was not entitled to there exemption" इस बात को अपने निर्णय के अन्तिम पैरा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है और उन्होंने कहा कि In our Opinion the applicant are right in their contents that ginning process is a manufacturing process अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि के.वि.क.अधि. 1956 की धारा-14(2) के अन्तर्गत जिन्ड कॉटन एवं अनजिन्ड कॉटन एक ही वस्तु मानी गयी है। यह प्रविष्टि घोषित वस्तुओं की सामूहिक प्रविष्टि है। जिन्ड कॉटन एण्ड अनजिन्ड कॉटन को एक ही प्रविष्टि में रखा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों वस्तु एक ही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1998) 108 एस.टी.सी. 258 (के.ए.के. अनवर एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू) के प्रकरण में निर्णित किया है कि : Section 14. in other words. is not a taxing Provision but it merely classifies different commodities under the same species under one entry. Merely because different goods or commodities are listed together in the same sub heading or sub item in section 14 cannot mean that they are regarded as one and the same item. The C.C.T. Raj. issued a circular dated 01-07-2006 in which detailed guideline has been given regarding the ITC according to para 8 of the circular no tax credit would be granted in case of finished goods which has been manufacturing out of tax paid goods.

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये उपरोक्त निष्कर्ष से यह पीठ पूर्णतः सहमत है, अतः उसकी पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य